

394)
31-8-19

सर्वोच्च प्राथमिकता/ साइबर थाना /गजट प्रकाशन
संख्या- 68 / 2019 / 1106 पी/छ:-पु-6-2019-300(13)/14

प्रेषक,

महेन्द्र सिंह
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त निदेशक
मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0
ऐशबाग, लखनऊ।

गृह पुलिस अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक 30 अगस्त, 2019

विषय: अधिसूचना संख्या: 63 / 2019 / 1106 पी/छ:-पु-6-2016-300(13)/2014 दिनांक 30 अगस्त, 2019
को सरकारी गजट में प्रकाशन कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में अवगत कराना है कि साइबर क्राइम थाना विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ एवं सेक्टर-36 जनपद गौतमबुद्धनगर के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण संबंधी पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या: 1931 पी/छ:-पु-6-2016-300(13)/2014 दिनांक 31 मार्च, 2016 में संशोधन करते हुए उक्त अधिसूचना संख्या: 63 / 2019 / 1106 पी/छ:-पु-6-2016-300(13)/2014 दिनांक 30 अगस्त, 2019 निर्गत की गई है।

2- इस सम्बन्ध में उक्त निर्गत अधिसूचनाओं की हिन्दी-अंग्रेजी की एक-एक प्रति संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 30-08-2019 के असाधारण सरकारी गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (ख) (परिनियत आदेश) में प्रकाशित कराते हुए निम्नलिखित को सम्मुख अंकित प्रतियां शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें:-

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	प्रतियां
1.	पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	10 प्रतियां
2.	अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना /प्रशासन /कानून व्यवस्था /तकनीकी सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ	05 प्रतियां
3.	अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज।	20 प्रतियां
4.	पुलिस महानिरीक्षक, साइबर क्राइम, उत्तर प्रदेश।	05 प्रतियां
5.	जिला अधिकारी/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक- लखनऊ/ गौ0बु0नगर।	10 प्रतियां
6.	गृह पुलिस अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लोक भवन, कक्ष संख्या-406, चतुर्थ तल, लखनऊ।	25 प्रतियां

3- उक्त गजट के मुद्रण पर होने वाला व्यय अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज द्वारा वहन किया जायेगा। अतः मुद्रण व्यय से संबंधित बिल, भुगतान हेतु मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, ऐशबाग, लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज को भेजा जायेगा।
संलग्नक- यथोपरि।

2/c website
अपलोड कराने

अपर पुलिस महानिदेशक
तकनीकी सेवाएं, उत्तर प्रदेश
30/8/19

भवदीय,
(महेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

संख्या- 68 / 2019 / 1106 (वी) / छः-पु-6-2019-300(13)/14, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(उक्त अधिसूचनाओं की प्रति गृह विभाग, उ०प्र० की वेबसाइट <http://uphome.gov.in> पर भी अवलोकनीय है)

1. महालेखाकार, लेखा- प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक/ स्थापना/ प्रशासन/कानून-व्यवस्था/तकनीकी सेवाएं/ लाजिस्टिक/ पुलिस प्रोन्नति भर्ती बोर्ड/ अभिसूचना/ ई०ओ०डब्लू०/ एस०टी०एफ०/ ए०टी०एस०/यू०पी०-100/ टेलीकाम/ विलिजेंस/ भ्र०नि०सं०/ विशेष जांच/ यातायात/ पी०ए०सी०/ एस०आई०टी०/ सी०बी०सी०आई०डी०/ रूल्स एंड मैनुअल/ मानवाधिकार/ जी०आर०पी०/फायर सर्विस/ सुरक्षा/ महिला सम्मान प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी/समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक- समस्त जनपद, उ०प्र०।
5. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक (जोन)/ पुलिस महानिरीक्षक (परिक्षेत्र) उ०प्र०।
6. पुलिस महानिरीक्षक, साइबर क्राइम, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना से समस्त सम्बन्धित जनपदों को अपने स्तर से भी संसूचित करने का कष्ट करें।
7. अपर पुलिस महानिदेशक/ वित्त नियंत्रक, उ०प्र०पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज।
8. वित्त ई 12 / गृह पुलिस अनुभाग-7 /सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/ सचिव, गृह विभाग, उ०प्र०शासन।
10. मीडिया सेल, गृह विभाग, उ०प्र०शासन।
11. गृह नियंत्रण कक्ष, उ०प्र०शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने तथा सर्वसंबन्धित को ई-मेल/ फैंक्स कराने का कष्ट करें।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महेन्द्र सिंह)

अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग-6
संख्या: 63 / 2019/ 1106 पी/छ:-पु-6-2019-300(13)/2014
लखनऊ: दिनांक 30 अगस्त, 2019

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 2 के खंड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या: 1931 पी/छ:-पु-6-2016-300(13)/2014 दिनांक 31 मार्च, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में शब्द "स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश पुलिस" के स्थान पर शब्द "महानिरीक्षक, साइबर क्राइम, उत्तर प्रदेश" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,



(अवनीश कुमार अवस्थी)

अपर मुख्य सचिव।

UTTAR PRADESH SHASAN
GRIH (POLICE) ANUBHAG-6

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 63 /2019/ 1106 P/ VI-Pu-6-2019-300(13)/ 2014 dated August 30, 2019:

NOTIFICATION

No. 63 /2019/ 1106 P/ VI-Pu-6-2019-300(13)/ 2014
LUCKNOW: Dated August 30, 2019

In exercise of the powers conferred by clause (s) of section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974), read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) the Governor is pleased to make the following amendment in Government Notification No. 1931p/ VI-Pu-6-2016-300(13)/ 2014 dated: March 31, 2016 :-

AMENDMENT

In the aforesaid notification for the words "Special Task Force, Uttar Pradesh Police" the words "Inspector General, Cyber Crime, Uttar Pradesh" shall be substituted.

By Order,



(AWANISH KUMAR AWASTHI)

Apar mukhya Sachiv.